के.पी. पेरियान्नन

बनाम

तमिलनाडु सरकार एवं अन्य

अप्रैल 20, 1990

[एस. रत्नवेल पांडियन और के. जयचंद्र रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु ताड़ी और अरक दुकानें (नीलामी में निपटान) नियम, 1981: नियम 3-6, 8, 10, 12, 14-16, 20 और 21। अरक दुकान की नीलामी - उच्चतम बोली अपर्याप्त पाई गई और उसकी पुष्टि नहीं की गई - दुकान की पुनः नीलामी की गई और बोली को अनंतिम रूप से पुष्ट किया गया परंतु बोलीदाता आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल रहा - दुकान की फिर से पुनः नीलामी की गई - मूल बिक्री और पुनर्विक्रय के बीच काल्पनिक हानि - निर्णय दिया गया कि मूल सफल बोलीदाता से वसूली योग्य नहीं है।

अपीलकर्ता ने एक अरक दुकान की नीलामी में उच्चतम बोली दी थी परंतु उसकी बोली को अपर्याप्त माना गया। दुकान की पुनः नीलामी की गई और 'सी' की बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। 'सी' कतिपय आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल रहा और दुकान की फिर से पुनः नीलामी की गई जिसमें लगाई गई बोली, मूल बिक्री में अपीलकर्ता द्वारा लगाई गई बोली से कम थी। उत्तरदाता ने तमिलनाडु ताड़ी और अरक दुकानें (नीलामी में निपटान) नियम, 1981 के नियम 21 के अंतर्गत, मूल बिक्री राशि और पुनर्विक्रय राशि के बीच के अंतर की वसूली अपीलकर्ता से करने की मांग की। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके इस वसूली को चुनौती दी, जिसे एक एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया और अपील करने पर इस निर्णय की पुष्टि एक खंड पीठ द्वारा की गई।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि नियमों के अंतर्गत उसकी बोली की पुष्टि नहीं की गई थी, इसलिए उससे कोई वसूली नहीं की जा सकती और 'सी', जिसकी बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया था, वह काल्पनिक हानि के लिए उत्तरदायी था। इसके विपरीत उत्तरदाता ने तर्क दिया कि चूंकि 'सी' नियम 15 का अनुपालन करने में असफल रहा, इसलिए उसकी बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और इसीलिए वह इसके परिणामस्वरूप हुई हानि के लिए उत्तरदायी नहीं था।

अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: 1. सामान्यतः यह कहना सही हो सकता है कि नियम 16 के अंतर्गत बिक्री अधिकारी नियम 15 के अनुपालन के पश्चात बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार करता है; परंतु वर्तमान मामले में, न्यायालय का सरोकार पुनः नीलामी से है और नियम 20(4) के आलोक में मूल उच्चतम बोलीदाता के दायित्व से है। [616 डी-ई]

2. 19 जून, 1981 के दस्तावेज को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि 'सी' की बोली को बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था और नियम 20 के उप-नियम (4) के आधार पर, जब एक बार 'सी' की बोली को उच्चतम बोली के रूप में अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो वह बोली जिससे बिक्री शुरू हुई थी अर्थात् अपीलकर्ता की बोली, व्यपगत हो गई और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को परिणामी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। [616 सी- डी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1990 की दीवानी अपील संख्या 1932।

1983 की रिट अपील संख्या 1153 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 4.7.1989 के निर्णय और आदेश से उद्भूत।

अपीलकर्ता के लिए आर. मोहन और आर. अय्यमपेरुमल।

उत्तरदाताओं के लिए वी. कृष्णमूर्ति।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गयाः

के. जयचंद्र रेड्डी, न्यायमूर्तिः अनुमति प्रदान की गई। दोनों पक्षों को सुना गया।

तमिलनाडु में अरक बिक्री संचालित करने के अधिकार की नीलामी आबकारी वर्ष 1981-82 के लिए 28.5.1981 को की गई थी। सेलम जिला के संकरी तालुक के कोनेरीपट्टी गाँव में स्थित दुकान संख्या 49 की नीलामी आबकारी वर्ष 1981-82 के लिए की गई थी। इस दुकान की नीलामी के संबंध में, अपीलकर्ता सफल बोलीदाता था और बोली की राशि 6550 रुपये प्रति माह थी। शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता ने उसी दिन 1000 रुपये की अग्रिम धन राशि और आधे महीने का किराया जमा किया था।

चूंकि बोली की राशि अपर्याप्त पाई गई थी, इसलिए 11.6.1981 को पुनः नीलामी की गई परंतु उस दिन कोई बोलीदाता नहीं आया। इसलिए पुनः 19.6.1981 को उसी दुकान की फिर से नीलामी की गई और एक श्री चेल्लामुथु 6575 रुपये प्रति माह पर सफल बोलीदाता रहे, परंतु वे कतिपय आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल रहे। इसलिए 27.6.81 को इसकी पुनः नीलामी की गई परंतु कोई बोलीदाता नहीं आया और दुकान की फिर से 17.8.1981 को नीलामी की गई जब एक दुरैसामी द्वारा बोली केवल 3000 रुपये लगाई गई। अपीलकर्ता को दिनांक 17.4.82 के एक पत्र के माध्यम से काल्पनिक हानि का भुगतान करने के लिए कहा गया। विभाग द्वारा यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता की बोली की पुष्टि 28.6.81 को कर दी गई थी परंतु अपीलकर्ता ने पुष्टि आदेश प्राप्त करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप दुकान की पुनः नीलामी केवल 3,000 रुपये में की गई और इसलिए अंतर की राशि अपीलकर्ता से वसूली योग्य है। इस आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह अवलोकन किया गया

कि उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का परिशीलन किया गया और वे दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता की बोली की पुष्टि 28.6.81 को की गई थी और अपीलकर्ता कतिपय शर्तों के अधीन नीलामी में बोली लगाने के बाद याचिका में किसी राहत की मांग नहीं कर सकता। एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध दायर रिट अपील में, खंड पीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की। खंड पीठ के समक्ष यह भी तर्क दिया गया था कि उसकी बोली को कभी भी वैध रूप से पुष्ट नहीं किया गया था और केवल दुरैसामी के पक्ष में की गई नीलामी ही वैध नीलामी थी।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि अपीलकर्ता की बोली को नियमों के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया था और समाहर्ता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, और यह तथ्य कि बाद में स्पष्ट रूप से इस आधार पर दो बार पुनः नीलामी की गई कि अपीलकर्ता की बोली अपर्याप्त थी, स्वयं यह दर्शाता है कि नियमों के अनुसार बोली की पुष्टि नहीं की गई थी और इसलिए अपीलकर्ता से परिणामी हानि की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चेल्लामुथु, जो 19.6.81 को आयोजित नीलामी में सफल बोलीदाता था, को परिणामी हानि, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वह उच्चतम बोलीदाता था क्योंकि उसकी बोली अपीलकर्ता की बोली से अधिक थी। इन तर्कों को समझने के लिए, प्रासंगिक नियमों का संदर्भ लेना आवश्यक हो जाता है। तमिलनाडु ताड़ी और अरक दुकानें (नीलामी में निपटान) नियम, 1981 के कुछ प्रासंगिक नियम तमिलनाडु निषेध अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बनाए गए थे। नियम 3 यह निर्धारित करता है कि खुदरा रूप से मदिरा बेचने का विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को नीलामी द्वारा प्रदान किया जाएगा और यह अवधि एक आबकारी वर्ष की होगी। नियम 5 के अंतर्गत, नियम 6 के तहत आवश्यक विवरणों का उल्लेख करते हुए एक सूचना दी जानी आवश्यक है। नीलामी

शुरू होने से एक घंटे पहले निविदाएं भी प्राप्त की जाएंगी। नियम 8 के अंतर्गत ऐसी खुली नीलामी में बोली लगाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम धन के रूप में 1,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी और केवल उन्हीं बोलीदाताओं को नीलामी के स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अग्रिम धन राशि जमा की है। नियम 10 असफल बोलीदाताओं को ऐसी जमा राशि की वापसी का प्रावधान करता है। नियम 12 यह निर्धारित करता है कि बिक्री अधिकारी उसमें विनिर्दिष्ट स्थितियों में से किसी एक के अधीन बोली स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। नियम 14 इसी प्रकार यह निर्धारित करता है कि स्वीकृति के लिए उच्चतम बोली पर विचार किया जाएगा। नियम 15 के अनुसार प्रत्येक नीलामी क्रेता घोषणा के तुरंत बाद या कम से कम दिन की बिक्री समाप्त होने से पहले, बिक्री अधिकारी के पास आधे महीने का किराया जमा करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो नियम 8 के अंतर्गत उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम धन राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। इस मामले के उद्देश्य के लिए नियम 16 महत्वपूर्ण है और यह निम्नलिखित शब्दों में है:

> "अग्रिम का जमा - बिक्री अधिकारी, यदि वह किसी नीलामी क्रेता की बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार करता है, तो नीलामी क्रेता को बिक्री की तारीख से सात दिनों के भीतर, नियम 8 के अंतर्गत पहले से जमा की गई अग्रिम धन राशि के अतिरिक्त परंतु नियम 15 के अंतर्गत बिक्री की समाप्ति पर भुगतान किए गए आधे महीने के किराए को सम्मिलित करते हुए, तीन महीने के किराए के बराबर की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान करने के लिए एक सूचना जारी करेगा।"

(बल दिया गया है)

हम बाद के चरण में विस्तृत रूप से इस नियम के दायरे पर विचार करेंगे। नियम 17 यह निर्धारित करता है कि नीलामी-क्रेता भार सृजित करने के उद्देश्य से तहसीलदार द्वारा जारी

शोधनक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और एक बंधक विलेख भी निष्पादित करेगा और यदि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो उसे तीन महीने के किराए के बराबर अतिरिक्त राशि जमा करनी चाहिए या बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए। नियम 18 के अंतर्गत, समाहर्ता द्वारा नीलामी-क्रेता द्वारा की गई जमा राशि को उस स्थिति में वापस कर दिया जाना चाहिए यदि वह बोली की स्वीकृति की पुष्टि करने से इनकार करता है। नियम 20 एक अन्य महत्वपूर्ण नियम है और यह आवश्यक है कि इसे पूरी तरह से उद्धृत किया जाए:

> "20. समाहर्ता द्वारा बिक्री की पुष्टि- (1) बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की गई प्रत्येक बोली समाहर्ता द्वारा पुष्टि के अधीन होगी और ऐसी पुष्टि पर समाहर्ता के आदेश अंतिम होंगे, जब तक कि आयुक्त द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से इसमें संशोधन न किया जाए। आयुक्त, अपील या पुनरीक्षण पर या *स्वतः संज्ञान* लेते हुए, प्रभावित व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी करने और उसके अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की गई बोली की पुष्टि करने वाले समाहर्ता के किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है। किसी व्यक्ति के पक्ष में दुकान की बिक्री की पुष्टि करने वाले समाहर्ता के किसी भी आदेश को आयुक्त द्वारा उसे अनुज्ञप्ति दिए जाने के बाद भी, उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से और सभी संबंधित व्यक्तियों को अवसर देने के बाद रद्द किया जा सकता है।
>
> (2) पुष्टि का आदेश प्राप्त होने पर और प्रपत्र संख्या 2 में आवेदन प्राप्त होने पर, आबकारी अधिकारी, नियम 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 17- सी (2) के अंतर्गत प्रपत्र संख्या 3 में एक अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

(3) यदि समाहर्ता किसी बोली को अपर्याप्त समझता है, तो वह बोली की अनंतिम स्वीकृति की पुष्टि करने से इनकार कर सकता है, और तुरंत दुकान के पुनर्विक्रय का निर्देश उस बिंदु से दे सकता है जहाँ इसे अंतिम बार छोड़ा गया था, ऐसी तिथि पर और ऐसे समय व स्थान पर जो उसके द्वारा नियत किया जाए। बिक्री की शर्तें तब तक अपरिवर्तित रहेंगी जब तक कि समाहर्ता द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। पुनर्विक्रय के लिए समाहर्ता द्वारा पारित किसी भी आदेश को पर्याप्त प्रचार दिया जाएगा और तालुक कार्यालय में भी अधिसूचित किया जाएगा।

(4) उप-नियम (3) के अंतर्गत किए जाने का आदेश दिया गया कोई भी पुनर्विक्रय, मूल बिक्री में बिक्री अधिकारी द्वारा *अनंतिम रूप से स्वीकार की गई बोली* से और उस व्यक्ति के नाम से शुरू होगा जिसने इसे प्रस्तुत किया था। यदि ऐसी बिक्री में उच्च बोली प्रस्तुत की जाती है और *बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार* कर ली जाती है, तो वह बोली जिससे *ऐसी बिक्री शुरू हुई थी, व्यपगत हो जाएगी*। परंतु यदि बिक्री अधिकारी द्वारा कोई उच्च बोली स्वीकार नहीं की जाती है, तो मामले का प्रतिवेदन समाहर्ता को दिया जाएगा जो मूल बिक्री में अनंतिम रूप से स्वीकार की गई बोली की पुष्टि करने वाले आदेश पारित कर सकता है या फिर से यह निर्देश दे सकता है कि बिक्री उसी बिंदु से जारी रखी जाए जहाँ इसे मूल बिक्री में छोड़ा गया था, और समाहर्ता का आदेश अंतिम होगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण पर आयुक्त द्वारा इसे संशोधित न किया जाए।

(5) उप-नियम (4) के प्रावधान किसी भी ऐसी बिक्री पर लागू होंगे जिसे उस उप-नियम के अंतर्गत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया हो।

(6) बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की गई किसी भी बोली को उप-नियम (4) के अंतर्गत व्यपगत होने से पहले या इसकी पुष्टि करने या पुष्टि करने से इनकार करने वाले आदेश पारित होने से पहले वापस नहीं लिया जाएगा, और यदि बोलीदाता इस शर्त का कोई उल्लंघन करता है, तो वह अपनी बोली और किसी भी निचली बोली, जिसे अंततः स्वीकार किया जा सकता है, के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

(बल दिया गया है)

नियम 21 यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जमा करने में विफल रहने पर या किसी मांग का अनुपालन करने में विफल रहने पर या बंध पत्र निष्पादित करने आदि जैसी किसी औपचारिकता का अनुपालन करने में विफल रहने पर, सहायक आयुक्त के प्रतिवेदन पर समाहर्ता के आदेशों के अंतर्गत दुकान का पुनर्विक्रय किया जा सकता है और इस नियम के अंतर्गत उसका पुनर्विक्रय किया जाएगा। यह चूक करने वाले बोलीदाता के जोखिम पर होगा, जो पुनर्विक्रय द्वारा प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ, यदि कोई हो, को खो देगा; पुनर्विक्रय से हानि की स्थिति में, चूक करने वाले बोलीदाता को मूल बिक्री की शर्तों के अंतर्गत पूरी अवधि के लिए देय कुल राशि और पुनर्विक्रय में सफल बोलीदाता द्वारा देय कुल राशि के बीच की कमी को पूरा करने की आवश्यकता होगी और चूक करने वाले बोलीदाता द्वारा पहले से की गई जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसी अंतिम नियम के अंतर्गत अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस स्तर पर, परस्पर विरोधी दावों को प्रस्तुत करने वाले शपथपत्र और प्रति-शपथपत्र के कुछ कथनों को संदर्भित करना उपयोगी होगा। अपीलकर्ता ने अपने शपथपत्र में कहा है कि उसकी बोली की कभी पुष्टि नहीं की गई थी और उसे कोई सूचना प्राप्त

नहीं हुई थी तथा दूसरी ओर, एक पुनः नीलामी हुई थी और पुनः नीलामी में एक उच्च बोली प्राप्त हुई थी, परंतु उक्त बोलीदाता ने चूक की। इसलिए फिर से एक और पुनः नीलामी की गई परंतु उस दिन कोई बोलीदाता नहीं था, लेकिन अंततः 27.6.1981 को अंतिम पुनः नीलामी के दौरान एक दुरैसामी द्वारा बोली केवल 3,000 रुपये की लगाई गई थी और उसी की पुष्टि की गई थी। अपीलकर्ता का तर्क यह रहा है कि नियम 20 के तहत आवश्यकतानुसार समाहर्ता द्वारा उसकी बोली की पुष्टि नहीं की गई थी और बार-बार की गई पुनः नीलामी स्वयं यह दर्शाती है कि अपीलकर्ता की बोली की पुष्टि नहीं की गई थी। सरकार की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता 28.5.1981 को उच्चतम बोलीदाता था परंतु समाहर्ता ने पहले ही उल्लेख किए अनुसार पुनर्विक्रय का आदेश दिया और एक चेल्लामुथु 6575 रुपये की पेशकश करके उच्चतम बोलीदाता रहा परंतु वह शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा। यह तर्क दिया गया है कि उक्त चेल्लामुथु यद्यपि उक्त पुनः नीलामी में उच्चतम बोलीदाता था, परंतु उसने नियम 15 के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन नहीं किया क्योंकि वह आधे महीने का किराया जमा करने में विफल रहा और इसलिए उसकी बोली स्वीकार नहीं की गई थी। इसलिए बाद की बोलियाँ आयोजित की गईं। सरकार द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली की पुष्टि समाहर्ता द्वारा समाहर्ता की दिनांक 28.6.81 की कार्यवाही के अनुसार की गई थी परंतु अपीलकर्ता ने पुष्टि आदेश प्राप्त करने से इनकार कर दिया और इसलिए उसे परिणामी हानि को पूरा करना होगा।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चेल्लामुथु उच्चतम बोलीदाता था और उसे ही चूककर्ता माना जाना चाहिए और परिणामस्वरूप उसे ही परिणामी हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

यह देखने के लिए कि क्या अपीलकर्ता का दायित्व किसी भी प्रकार से जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह परिणामी हानि के लिए उत्तरदायी बना, हमें इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में नियम 20(3) और 20(4) का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना होगा। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, नियम 20(3) में कहा गया है कि यदि समाहर्ता किसी बोली को अपर्याप्त समझता है, तो वह *बोली की अनंतिम स्वीकृति* की पुष्टि करने से इनकार कर सकता है और तुरंत दुकान के पुनर्विक्रय का निर्देश उस बिंदु से दे सकता है जहाँ इसे अंतिम बार छोड़ा गया था। उप-नियम 4 के अनुसार, उप-नियम (3) के अंतर्गत किए जाने का आदेश दिया गया कोई भी पुनर्विक्रय, मूल बिक्री में *बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की गई* बोली से शुरू होगा और यदि ऐसी बिक्री में एक उच्च बोली प्रस्तुत की जाती है और बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर ली जाती है, तो वह बोली जिससे ऐसी बिक्री शुरू हुई थी, व्यपगत हो जाएगी। *नियम का यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है।* यदि अभिलेख यह दर्शाता है कि चेल्लामुथु द्वारा प्रस्तुत बोली को बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो वह बोली जिससे बिक्री शुरू हुई थी, अर्थात् अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली व्यपगत हो जाती है; परंतु यदि इसके विपरीत, पुनः नीलामी के दौरान ऐसी बोली बिक्री अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो आगे की पुनः नीलामी के लिए या मूल बोली अर्थात् अपीलकर्ता की बोली की पुष्टि के लिए आगामी कदम उठाए जाएंगे। इस संदर्भ में एक बार फिर यह आलेख करना आवश्यक है कि विभाग के अनुसार, चेल्लामुथु की बोली को अनंतिम रूप से भी स्वीकार नहीं किया गया था। जैसा कि नियम 16 में निर्धारित किया गया है, यदि अभिलेख यह दर्शाता है कि उसकी बोली को बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो नियम 20 (4) में किए गए प्रावधान के अनुसार अपीलकर्ता की बोली स्वतः ही व्यपगत हो जाती है। हमारे अपने संतोष के लिए हमने अभिलेख मंगाया और नीलामी से संबंधित फाइल का परिशीलन किया। जहाँ तक

चेल्लामुथु द्वारा लगाई गई बोली का संबंध है, हमें अभिलेख में एक दस्तावेज मिलता है जो प्रामाणिक रूप से यह दर्शाता है कि उसकी बोली उच्चतम होने के कारण बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की गई थी और घोषित की गई थी। यह दस्तावेज इस प्रकार है:

"संकरी तालुक में ताड़ी/अरक दुकानों का दूसरा पुनर्विक्रय।

(1.7.1981 से 30.6.1982)

दुकान संख्या 49 स्थान: कोनेरीपट्टी

निविदादाता का नाम और पूरा पता निविदा राशि

शून्य

थिरु द्वारा उच्चतम निविदा राशि: शून्य

थिरु द्वारा उच्चतम बोली राशि: 6575 रुपये

इन दोनों में से उच्चतम, अर्थात् कुमारनपालयम गाँव के नाचीमुथु के पुत्र थिरु सेल्लामुथु द्वारा 6575 रुपये (केवल छह हजार पांच सौ पचहत्तर रुपये) की बोली, जो उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता हैं, अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है और घोषित की जाती है।

हस्ता./- 19/6/81

बिक्री अधिकारी

एवं

उप समाहर्ता/संकरी।"

नियम 16 के अनुसार जब ऐसी अनंतिम स्वीकृति होती है तो बिक्री अधिकारी उच्चतम बोलीदाता को अग्रिम के रूप में तीन महीने का किराया देने के लिए एक सूचना जारी करता है। परंतु

उत्तरदाताओं अर्थात् विभाग के अनुसार, उक्त चेल्लामुथु यद्यपि उच्चतम बोलीदाता था, उसने नियम 15 के तहत आवश्यकतानुसार आधे महीने का किराया जमा नहीं किया, इसलिए उसकी बोली को अनंतिम रूप से भी स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की उच्चतम बोली को बाद में पुष्ट किया गया। चूंकि हमें अपीलकर्ता के दायित्व के बारे में एक वास्तविक संदेह दिखाई देता है, इसलिए हमने शेष फाइल को भी देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ-वहाँ इस आशय की एक टिप्पणी है कि चेल्लामुथु ने उस दिन 15 दिनों का किराया जमा नहीं किया था। परंतु ऊपर उल्लिखित दस्तावेज को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि चेल्लामुथु की बोली को बिक्री अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था और नियम 20 के उप-नियम (4) के आधार पर, जब एक बार चेल्लामुथु की बोली को उच्चतम बोली के रूप में अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो वह बोली जिससे ऐसी बिक्री शुरू हुई थी अर्थात् अपीलकर्ता की बोली, व्यपगत हो गई। हम इस प्रश्न में नहीं जाना चाहते कि क्या नियम 16 के अंतर्गत बिक्री अधिकारी द्वारा बोली की अनंतिम स्वीकृति से पहले आवश्यक रूप से नियम 15 के अंतर्गत नीलामी-क्रेता द्वारा आधे महीने के किराए की जमा राशि की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। संभवतः सामान्यतः यह कहना सही हो सकता है कि नियम 16 के अंतर्गत बिक्री अधिकारी नियम 15 के अनुपालन के पश्चात ही बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार करता है; परंतु वर्तमान मामले में हम पुनः नीलामी से और नियम 20 (4) के आलोक में मूल उच्चतम बोलीदाता के दायित्व से सरोकार रखते हैं। ऊपर उल्लिखित दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चेल्लामुथु की बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया था और इसलिए नियम 20 का उप-नियम (4) प्रभावी हो जाता है और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की बोली व्यपगत हो गई। बहरहाल, बिक्री अधिकारी द्वारा चेल्लामुथु की बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार करने वाली उद्घोषणा की

अंतर्वस्तु पर उचित विचार करने के बाद, अपीलकर्ता के दायित्व के बारे में एक वास्तविक संदेह उत्पन्न होता है। अपने गंभीर विचार के उपरांत, हमारा यह मत है कि बिक्री अधिकारी द्वारा चेल्लामुथु की बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के कारण अपीलकर्ता की बोली व्यपगत हो गई थी और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को परिणामी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

टी.एन.ए. अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।